

रा.प.

2014

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 70 / XVIII(1)/2014-02(15)/2013

देहरादून: दिनांक: 20 जनवरी, 2014

श्री. ए. ए. ए. ए.

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद्
उत्तराखण्ड, देहरादूनअधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) देश, 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी अट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला चम्पावत में उप तहसील "बाराकोट" को उच्चकृत एवं पूर्ण तहसील, जिसका मुख्यालय "बाराकोट" में होगा और निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट समाविष्ट होंगे, सृजित करने तथा उक्त ग्रामों को वर्तमान उप तहसील बाराकोट, जिला चम्पावत की सीमा से पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि विभाग में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रभाव या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

उच्चकृत तहसील बाराकोट में सम्मिलित उप तहसील बाराकोट के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	ईजडा	ईजडा
1.	रावलगाँव	
2.	बमेडा	
3.	बैडाओड	
4.	वैला	
5.	ल्वार्की	
6.	पटनगाँव	
7.	बसौटी	
8.	ढटीगाँव	
9.	सुरकोट	
10.	देवलीमाफी	
11.	डुगराओड	
12.	पडासौसेरा	रैघांव
13.	रैघाव	
14.	कामाज्यूला	
15.	बकरियाज्यूला	
16.		

Edui

17.	बिसराडी	बिसराडी
18.	पठलती	
19.	कोठेरा	
20.	मयू	
21.	पठयूडा	
22.	भनार	
23.	बाँज	
24.	बगौला	
25.	दुगाजोषी	
26.	दुगामल्ला	
27.	तल्लीजिन्डी	
28.	काकड़	
29.	पम्दा	
30.	नदेडा	बर्दाखान
31.	सूरी	
32.	निगालीगाड	
33.	बनकडिया	
34.	छुलापै	
35.	बैडाबैडवाल	
36.	रैँघाडी	
37.	बुरौला	
38.	सुगरखाल	
39.	चूलागाँव	
40.	लुवाकोट	
41.	बाराकोट	बाराकोट
42.	खोलासुनार	
43.	गुरनानयावाद	
44.	गुरना सन्तोला	
45.	कैलाडी	
46.	फरतोला	
47.	पुनई	
48.	मिरतोली	
49.	सिंगदा	
50.	वखलंज	
51.	बौतड़ी	
52.	गल्लागाँव	गल्लागाँव
53.	तडाग	
54.	कालाकोट	
55.	झिरकुनी	
56.	गोठकूडा	
57.	अधखण्डी	
58.	तडीगाँव	

Solow

59.	नौमाना	
60.	टॉक	
61.	डोबाभागू	
62.	दियारतोली	दियारतोली
63.	आगर	
64.	नैनीमहर	
65.	छीड़ा	
66.	हिचौडा	
67.	वेट्टा	
68.	बाँस	
69.	लीती	
70.	छन्दा	
71.	चौडासाह	
72.	खकोडा	
73.	वल्साँ	वल्साँ
74.	सलान	
75.	नेत्र	
76.	गायकाज्यूला	
77.	सील	
78.	सुतेडा	
79.	जमाड	
80.	जाख लग्गा सुतेडा	
81.	चाचडी	
82.	चमौली	
83.	चामीमयगूठ	
84.	मउ	मउ
85.	बरुडी	
86.	लीदू	
87.	खेती	
88.	काकडी	
89.	पुनियाल	
90.	मौलानी	
91.	सिमैला	
92.	चमरोली	
93.	गंगालीपुलई	
94.	मल्ला बापरू	बापरू
95.	ग्वीनाडा	
96.	गैरी	
97.	गुमौद	
98.	बयोली	
99.	बयोलीलग्गा तल्ला बापरू	
100.	बापरू तल्ला	

Handwritten signature

101. बन्तोली
102. च्यूरानी
103. भारतोलीगूठ

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

ख्या- 700/XVIII(1)/2014 एवं तददिनांक।

तिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख परिनियत आदेश में काशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

ख्या- 700/XVIII(1)/2014 एवं तददिनांक।

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव